

तारीखरजू:- 30-1-19

8/19

उनवान:- भरोसी बनाम बिजेन्द्र वगै०

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

फर्द अहकाम

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य की असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि में सायलान को प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकरिमकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक 18.02.2019 तक विवादग्रस्त आराजी ख०न० 255/0.35, 285/0.11, 286/0.09, 287/0.14, 326/0.28, 327/0.29 कुल किता 6 कुल रकवा 1.26 है० ग्राम भादौली तहसील टोडाभीम जिला करौली में आगामी तिथि तक मौके की यथास्थिति के आदेश दिए जाते हैं।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ-साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नहीं होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अन्तरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 18.02.2019 को पेश हो।

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन

रखा गया है। पीठारसन अधिकारी.....

दिनांक 18-3-19 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

Not press

2021
 वकूलाय उप ०। सायल एवं गैर सायल विजेन्द्र एवं हेमराज
 उपस्थित / सायल एवं वकील गैरसायलान ने राजीनामा
 पेश किया। जो मूल वाद में संलग्न है। जिसके अनुसार
 मुकदमे को आगे चलाना नहीं चाहते हैं एवं मुकदमे को
 Not press में खारिज करने का कथन करते हुए
 ओदेशिका पर हस्ताक्षर किये। मूल दावा Not press में
 खारिज हो चुका है। यह प्रार्थना पत्र अल्थाई निवेदाज्ञा
 की Not press में खारिज किया जाता है। पत्रावली
 केसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दावा पत्रावली
 के साथ संलग्न रहे।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
 उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
 जिला-करोली

मिस्त्री
 id
 मिस्त्री
 मिस्त्री
 मिस्त्री